

क्रमांक : अविप्रा./ प.3/भवन मानचित्र अनुज्ञा/18/ 2299

दिनांक: 18.3.18

मैसर्स शालीमार बिल्डकोन प्रा0 लिमि0

जरिये पार्टनर श्री रामप्रसाद अग्रवाल एवं श्रीमति कुसुम अग्रवाल

62, बर्गीज कालोनी, जयपुर

विषय :- राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा नम्बर 1301 क्षेत्रफल 6500 व.मी. के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ग्रुप हाऊसिंग (आवासीय) भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 11.12.2017 के प्रस्ताव सं. 01 के निर्णय के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित के क्रम में आप द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 के तहत ग्रुप हाऊसिंग(आवासीय) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र को स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किये गये हैं। भवन नियोजन समिति की बैठक दिनांक 11.12.2017 के प्रस्ताव सं. 01 में लिये गए निर्णय की अनुपालना में निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जा रहे हैं:-

1. उक्त स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम, 2017 के तहत जारी की गई है।
2. लीज डीड की सभी शर्तें लागू होगी।
3. एकीकृत भवन विनियम, 2017 के नियम 15.1 अनुसार अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर अथवा कार्य प्रारम्भ करने के छः माह के अन्दर, जो भी कम हो, अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आशय की सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी, उक्त भवन मानचित्र स्वीकृति माह फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी।
4. जिस प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है, उसी प्रयोजनार्थ भवन निर्माण करवाया जावेगा, अन्यथा निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
5. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :-

क्र.सं.	मापदण्ड	जन आवास योजना, 2015 एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु समिति द्वारा अनुमोदित
(I)	सैट बैक्स (न्यूनतम)	
	अग्र	15.0 मी.
	साईड प्रथम	3.75 मी.
	साईड द्वितीय	3.75 मी.
	पीछे	3.75 मी.
(II)	ऊँचाई (सड़क तल से)	15 मी.(आंशिक स्टिल्ट सहित)
(III)	मंजिल	आंशिक स्टिल्ट, G+4
(IV)	बेसमेंट	नहीं
(V)	आच्छादन	46.02%
(VI)	बी.ए.आर	2.29 (14896.84 व.मी.)

6. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मोके पर लगाया जावेगा। जिसमें सम्बन्धित आयुक्त/उपायुक्त संबधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे, अनुमोदित मानचित्र की सूचना एवं अनुमादन की शर्तों के साथ वास्तुविद, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित प्रदर्शित (डिस्टले) नहीं है तो संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रूकवा दिया जायेगा। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मोके पर रखी जावेगी।
7. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.3 (ii) के अनुसार आपका प्रस्तावित भवन 15 मीटर ऊंचाई का है, जो कि मध्यम जोखिम (Medium Risk Building) के अन्तर्गत आता है। अतः आप द्वारा प्लिन्थ लेवल तक निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से सम्बन्धित उपायुक्त जोन (उत्तर) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना आप द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा। यदि प्लिन्थ का निर्माण भवन विनियमों एवं स्वीकृत भवन मानचित्रों के विपरीत किया जाना पाया जाता है तो संबंधित उपायुक्त द्वारा तीन दिवस में निर्माण कार्य बन्द करवाने की कार्यवाही की जावेगी।
8. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टों में यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
9. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974 एवं वायु संरक्षण अधिनियम 1981, के प्रावधानों की नियमानुसार अनुपालना करनी होगी। एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 8.12 के अनुसार एवं 8.12.3.1 में उल्लेखित पर्यावरणीय शर्तों का पालन किया जाना होगा।
10. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 14.15 के क्रम में अग्नि शमन एवं भूकम्परोधी के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर भवन में मौके पर प्रदान करने होंगे।
11. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नम्बर एवं लैण्डलाइन नम्बर भी लिये जाकर पुलिस अधीक्षक अजमेर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सके।
12. जल के शुद्धीकरण हेतु रीसाईक्लिंग की व्यवस्था करनी होगी। शुद्धीकृत जल का उपयोग बागवानी तथा प्लेश के उपयोग में लिया जा सकेगा। शौचालय के अपशिष्ट जल के शुद्धीकरण हेतु आवश्यकतानुसार सीवरेज ट्रीटमेंट

- प्लान्ट स्थापित किया जाना होगा तथा परियोजना में से उत्पन्न होने वाले सालिड एवं लिक्विड वेस्ट को निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पेरामीटर्स के अनुसार किया जायेगा।
13. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 8.11.4 (i) के क्रम में ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें 1 पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा, जहां से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
 14. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 8.11.3 (i) के क्रम में प्रत्येक 80 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालता नहीं करने पर 1000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।
 15. वर्षा के पानी द्वारा भू-गर्भ का जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कानूनन अनिवार्य है।
 16. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
 17. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है तथा भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
 18. भूखण्ड पर किये जाने वाले निर्माण पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.18 (25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 27.06.2017 के अनुसार नियमानुसार लेबर सेस की राशि विकासकर्ता द्वारा अपने स्तर पर श्रम विभाग में जमा करावाकर पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के समय भुगतान की रसीद प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
 19. स्वीकृत प्लान के विरुद्ध निर्माण किये जाने एवं भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने पर/ निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जाकर, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत अवैध निर्माण को अ.वि.प्रा. द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसका समस्त व्यय भू-स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
 20. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.4 के क्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये सम्बन्धित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
 21. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा। अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
 22. प्रश्नगत प्रकरण की किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे तथा उक्त स्वीकृति के कारण यदि अजमेर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
 23. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा, सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तथा निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान का नक्शा भी प्रदर्शित उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे। भवन निर्माण के समय सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावे।
 24. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.5 के अनुसार आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
 25. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 10 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी। अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है, भू-स्वामी द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर अजमेर विकास प्राधिकरण बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड दे सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अजमेर विकास प्राधिकरण हर्जा खर्चा वसूलने एवं भू-स्वामी जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। भवन परिसर में ही आगन्तुको की पार्किंग करवाई जावे तथा निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावे।
 26. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लेट्स का निस्तारण नियमानुसार किया जाना होगा।
 27. इसके अतिरिक्त अन्य समस्त पेरामीटर्स जो की प्रचलित एकीकृत भवन विनियम, 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के हैं, का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
 28. उक्त वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्तों का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।
 29. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 17.1 के क्रम में "अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् भवन में आवश्यक सुविधाएँ यथा बिजली, पानी, सीवरेज, कनेक्शन आदि प्राप्त करने के पश्चात् विकासकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा इस हेतु पंजीकृत वास्तुविद् के समक्ष अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा।"

30. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 17.1 के क्रम में "रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) अधिनियम, 2016 एव इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों में उल्लेखित भवनों हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

संलग्न:- भवन मानचित्र का एक सैट (6 शीट)

(मुकेश मित्तल)

निदेशक आयोजना

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक : अविप्रा./ प.3/भवन मानचित्र अनुज्ञा/17

दिनांक:

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उपायुक्त(उत्तर), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।(मय भवन मानचित्र का एक सैट (6 शीट)
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टाटा पॉवर, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोडरमल रोड, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कनिष्ठ अभियंता (क्षेत्राधिकार अनुसार), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को मय मानचित्र एक सैट भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करे कि मौके पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही किया जाये। (मय भवन मानचित्र का एक सैट (6 शीट)
5. आयोजना प्रकोष्ठ की रक्षित पत्रावली।

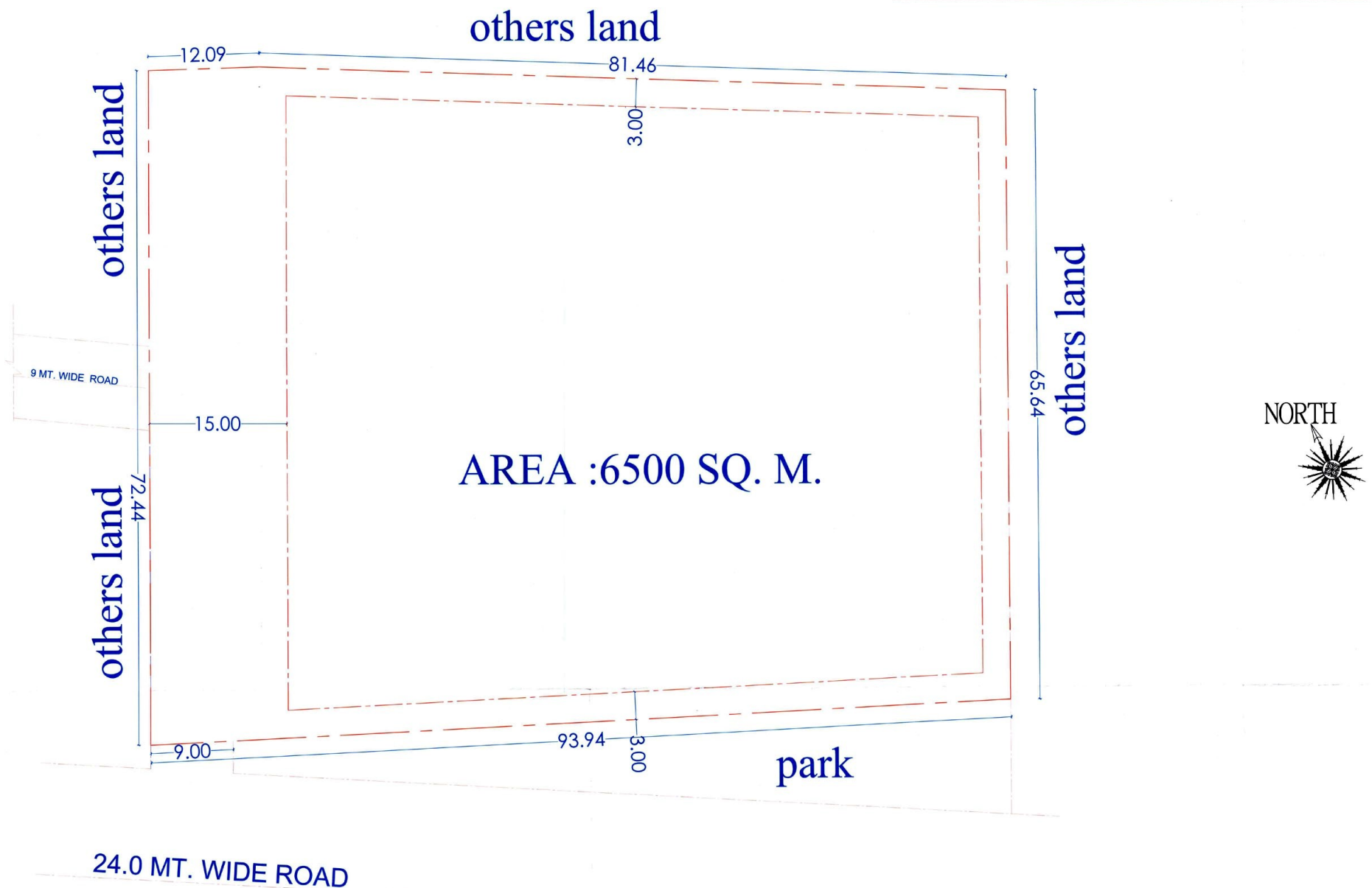
(मुकेश मित्तल)

निदेशक आयोजना

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

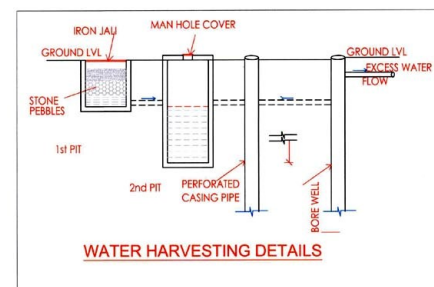
SHEET NO. - 01

SITE PLAN & AREA CALCULATION



- 1.SITE PLAN
- 2.TOTAL PLOT AREA=6500SQMT.(7774.SQYD)
- 3.HEIGHT=15.0M
- 4.B.A.R.: -2.00 BUILDING BYLAWS 2017
- 5.PERMISSIBLE COVERAGE=50%
- 6.SET BACK:-

15.0m	3.0m	3.0m	3.0m
-------	------	------	------
- 7.ALL BUILDING BYELAWS 2017(AMENDED)WILL BE APPLICABLE
- 8.SITE PLAN IS PUT UP UNDER CHIEF MINISTER JAN A WAS YOJNA 2015
RAJ.



B.A.R. AREA CALCULATION (Sq.Mt.)																
S.No.	FLOOR	B.U.A.OF EWS UNIT (Sq.Mt.)	Balcony(Sq.Mt.)	B.U.A.OF I.G. UNIT TYPE-I (Sq.Mt.)	B.U.A.OF I.G. UNIT TYPE-II (Sq.Mt.)	B.U.A.OF I.G. UNIT TYPE-III (Sq.Mt.)	CORRIDOR (Sq.Mt.)	LIFT (Sq.Mt.)	STAIRS (Sq.Mt.)	CLUB (Sq.Mt.)	commircal (Sq.Mt.)	commircal VERANDAH (Sq.Mt.)	B.A.R Area (Sq.Mt.)	stilt cover parking (Sq.Mt.)	Gross B.U.A. (Sq.Mt.)	
01.	Ground floor	225.31	14.07	1135.22	44.80	897.62	29.25	297.70	19.44	38.62	148.29	29.38	13.14	2892.84	98.64	2991.48
02.	1st floor	359.39	22.12	1183.97	46.75	957.29	31.20	342.22	19.44	38.62	-	-	-	3001.0	-	3001.0
03.	2nd floor	359.39	22.12	1183.97	46.75	957.29	31.20	342.22	19.44	38.62	-	-	-	3001.0	-	3001.0
04.	3rd floor	359.39	22.12	1183.97	46.75	957.29	31.20	342.22	19.44	38.62	-	-	-	3001.0	-	3001.0
05.	4th floor	359.39	22.12	1183.97	46.75	957.29	31.20	342.22	19.44	38.62	-	-	-	3001.0	-	3001.0
6.	terrace floor															230.28
	total	1662.87	102.55	5871.10	231.80	4726.78	154.05	1666.58	97.20	193.10	148.29	29.38	13.14	14,896.84	98.64	15225.76

AREA CALCULATION SUPER BUILT UP AREA							
s.no.	unit type	built up area(sqmt)per unit	balcony(50%(sqmt)per unit	corridor & stairs,lift,club(sqmt.)per unit	super built up area(sqmt.)per unit	Carpet(sqmt.)per unit	no. of unit
1.	E.W.S.	32.60	1.00	5.65	39.25(422.33) SQFT)	29.62	51
2.	LIG TYPE-I	49.33	0.97	8.46	58.76(632.25) SQFT)	45.80	119
3.	LIG TYPE-II	59.83	0.97	10.23	71.03(764.28) SQFT)	55.86	79

TOTAL PLOT AREA CALCULATION

1. TOTAL PLOT AREA = 6500 sqmt.

2. PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = 3250 sqmt. 50.0%

3. PROPOSED GROUND COVERAGE = 2991.48 (46.02%)

4. PROPOSED B.A.R. AREA =
ALL UNITS L.I.G.E.W.S. B.A.R. = 14,854.32 SQMT.

PROPOSED COMMERCIAL B.A.R. = 42.52 SQMT. (0.28%)
TOTAL = 14896.84 SQMT.

05.- PERMISSIBLE 01% CLUB AREA FREE FROM B.A.R. = 148.00 Sq.Mt.
06.- PROPOSED CLUB AREA = 148.29 Sq.Mt.

07.- REQUIRED LANDSCAPE AREA AT GROUND FLOOR = 975 Sq.Mt. 15%
08.- PROPOSED LANDSCAPE AREA AT GROUND FLOOR = 977.82 SQMT.

09.- NET CONSUMED B.A.R. = 14896.84 / 6500 = 2.29

10.- PERMISSIBLE GROUND COVERAGE : WITH IN SETBACK
11.- ACHIEVED GROUND COVERAGE : WITH IN SETBACK
12.- PROPOSED HEIGHT = 13.8 M
13.- ACHIEVED HEIGHT = 15.00 M.

PROPOSED UNITS OF E.W.S. = 51
PROPOSED UNITS O.L.L.G. = 198
REQUIRED PARKING = 447 two wheeler + 21two wheeler commercial
PROPOSED two wheeler parking = 456two wheeler + 2car

COMMERCIAL PARKING CALCULATION

14.- TOTAL PARKING REQUIRED B.A.R. >
$$\frac{\text{B.A.R.}}{75} = \frac{42.52}{75} = 0.56 \text{ E.C.U.} \times 1.25 = 0.70 \text{ E.C.U.}$$

15.- 2 CARPARKING + 2two wheeler PARKING

भारत न्यायचित्र समिति की बैठक दिनांक 11-12-18 में
निम्न रूप निम्न अनुसार एवं अधिकांश के रूप प्रत्येक
अधिकांश न्यायचित्र 11-12-18 दिनांक 12-09-18
में ही शरीर के साथ स्वकीय प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वकीय एका स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

20/11/2018

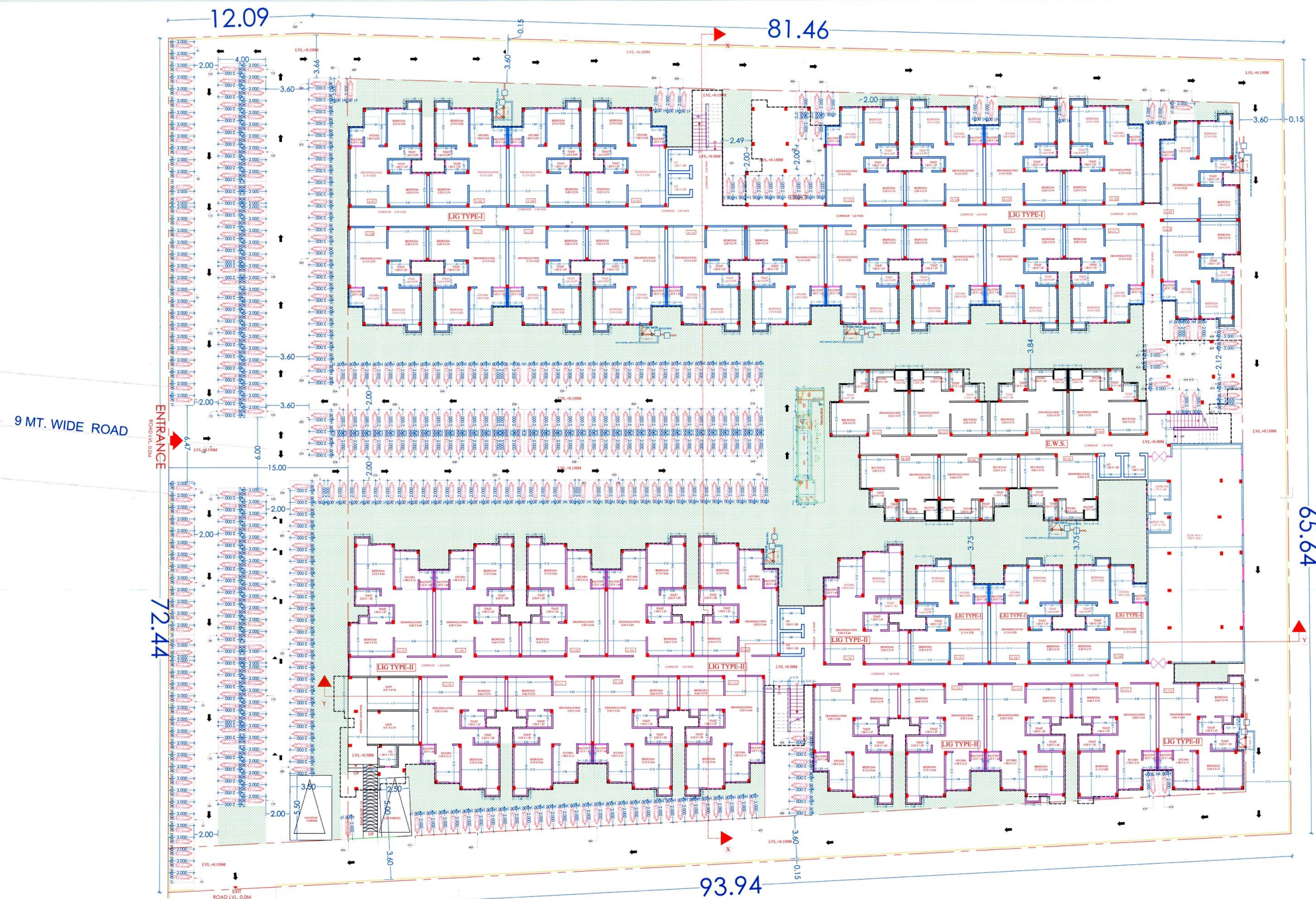
सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्रदिकरण, अजमेर

मुख्य नि
विचारक
अजमेर विकास

TITLE:- SITE PLAN & AREA CALCULATION	
DATE :- 24.11.2017	NORTH:- NORTH 
SCALE = 1:100	
PROJECT SITE:-	
PROPOSED PLAN IN KHASRA NO.1301 SITUATED AT MAKERWALI SIKAR ROAD AJMER	
DEVELOPER:-	
ARCHITECTS:-	
SHEETAL KUMAR & ASSOCIATES C-84, SHIWAD HOUSE, PRITHVI RAJ ROAD, C-SCHEME JAIPUR TEL:-0-141-4002204	
For Shailmer Duldien (P) Ltd  Authorised Signatory Director Museum Approval	 Sheetal Kumar, General & Assoc. architects
OWNER	ARCHITECTS

SHEET NO. - 02

GROUND FLOOR PLAN



24.0 MT. WIDE ROAD

ध्यान साधित सधित की वैदिक विधाओं ॥ ११-१४ ॥
 निम्न पर गीतों अनुसार एवं अङ्गिक के पर प्रत्यक्ष
 अतिशय/मन्त्र/प-३/१४ ॥ ११-१४ ॥
 में ही पर शरीर के साथ स्वीकृत प्रदान की गई।
 नोट: उक्त स्वीकृत ध्यान प्रयोगों का दस्तावेज नहीं।

सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

TITLE:-
GROUND FLOOR PLAN

DATE :- 24.11.2017	NORTH
--------------------	-------

DATE : 28.11.2017

SCALE = 1:100

PROJECT SITE:-

PROPOSED PLAN IN KHASRA
SITUATED AT MAKERWALI SIH

```
DEVELOPER> .
```

ARCHITECTS:-

SHEETAL KUMAR & ASSO

C-84, SHIWAD HOUSE,
PRITHVI RAJ ROAD,

FRITHVI KAS ROAD,
C-SCHEME JAIPUR

TEL:0-141-,4002204

8	9
---	---

Handwritten: 5

②

Sheet

OWNER

[illegible]



24.0 MT. WIDE ROAD

यह नक्शा भारतीय नक्शा अधिनियम 1967 के तहत तैयार किया गया है।
इस नक्शे में किसी भी त्रुटि का जवाबदाar नक्शा तैयार करने वाले व्यक्ति का है।
यदि कोई भी त्रुटि पाई जाएगी तो तुरंत सूचित की जाएगी।

श्री. शशी कुमार
प्रमुख नक्शा तैयार करने वाला
श्री. शशी कुमार
अध्यक्ष नक्शा तैयार करने वाले

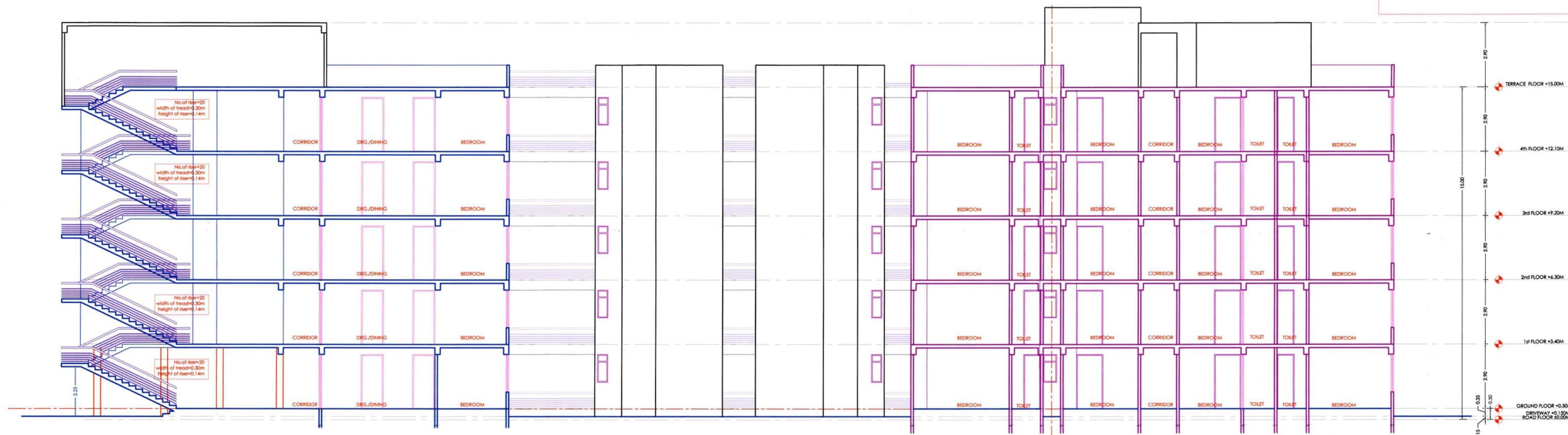
TITLE:- TYPICAL FLOOR PLAN	
DATE :- 24.11.2017	NORTH NORTH
SCALE :- 1:100	
PROJECT SITE:- PROPOSED PLAN IN KHASRA NO. 1301 SITUATED AT MAKERWALI SIKAR ROAD AJMER	
DEVELOPER:-	
ARCHITECTS:- SHEETAL KUMAR & ASSOCIATES C-84, SHIWAD HOUSE, PRITHVI RAJ ROAD, C-SCHEME JAIPUR TEL: 0-141-4002204	
for Shalimar Builders (P) Ltd Authorized Signatory Director Kusam Agrawal	Sheetal Kumar Agrawal ARCHITECTS
OWNER	ARCHITECTS



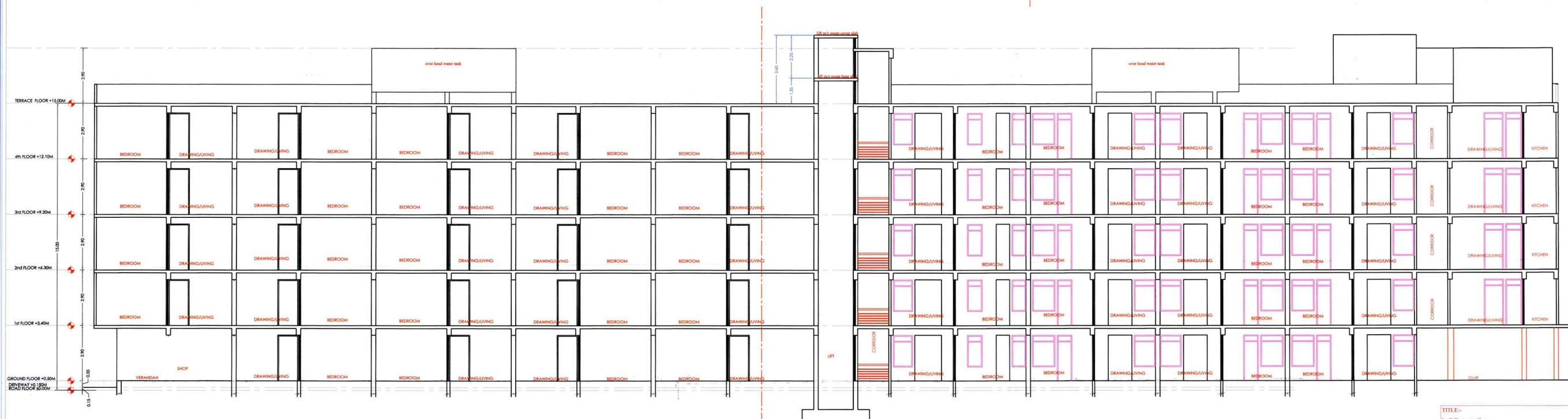
समस्त कार्यवाही पूर्ण हो गई है।
इस प्लान को अंतिम रूप में स्वीकार किया गया है।
अधिकार प्राप्त है।
यदि कोई भी व्यक्ति इस प्लान को बदलने का प्रयास करेगा तो उसे कानून के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
सहकारिता नगर निगम
अभि. अधिकारी, राजपुर

24.0 MT. WIDE ROAD

TITLE:- TERRACE FLOOR PLAN	
DATE :- 04.11.2017	NORTH:- NORTH
SCALE :- 1:100	
PROJECT SITE:- PROPOSED PLAN IN KHASRA NO. 1301 SITUATED AT MAKERWALI SIKAR ROAD AJMER	
DEVELOPER:-	
ARCHITECTS:- SHEETAL KUMAR & ASSOCIATES C-84, SHIWAD HOUSE, PRITHVI RAJ ROAD, C-SCHEME JAIPUR TEL: 0-141-4002204	
For Shalimar Builders (P) Ltd Authorized Signatory Kusum Poonia	OWNER Sheetal Kumar & Associates ARCHITECTS



section at X-X



section at y-y

भवन मानचित्र समिति को बैठक दिनांक 11-12-22 में
सिद्ध एवं प्रमाणित अनुसार एवं अभियंता के पुनः क्रमांक
अभिप्राय/अनुमति/पं-3/34/2022 दिनांक 11-04-23
में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

13/04/23
सहायक नगर नियोजक
अ.वि. प्राधिकरण, अजमेर

मुख्य निर्माण
निर्देशक/अभियंता
अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

TITLE:-
building section

DATE - 04.11.2017

SCALE = 1:100

PROJECT SITE:-
PROPOSED PLAN IN KHASRA NO.1301
SITUATED AT MAKERWALI SIKAR ROAD AJMER

DEVELOPER:-

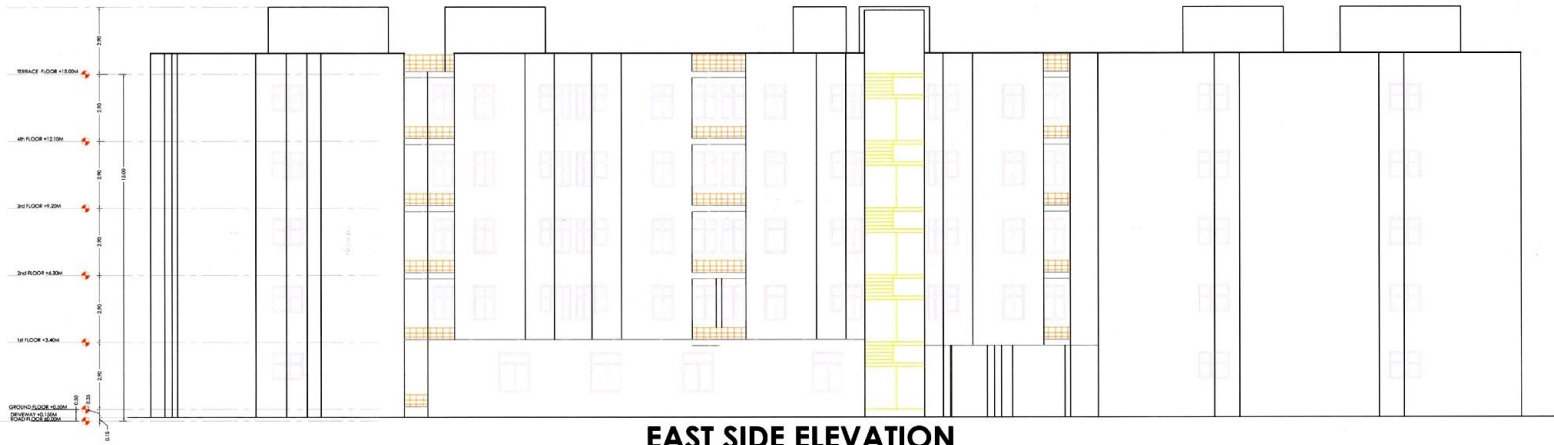
ARCHITECTS:-
SHEETAL KUMAR & ASSOCIATES
C-84, SHIVAD HOUSE,
PRITHVI RAJ ROAD,
C-SCHEME JAIPUR
TEL: 0-141-4002204

OWNER

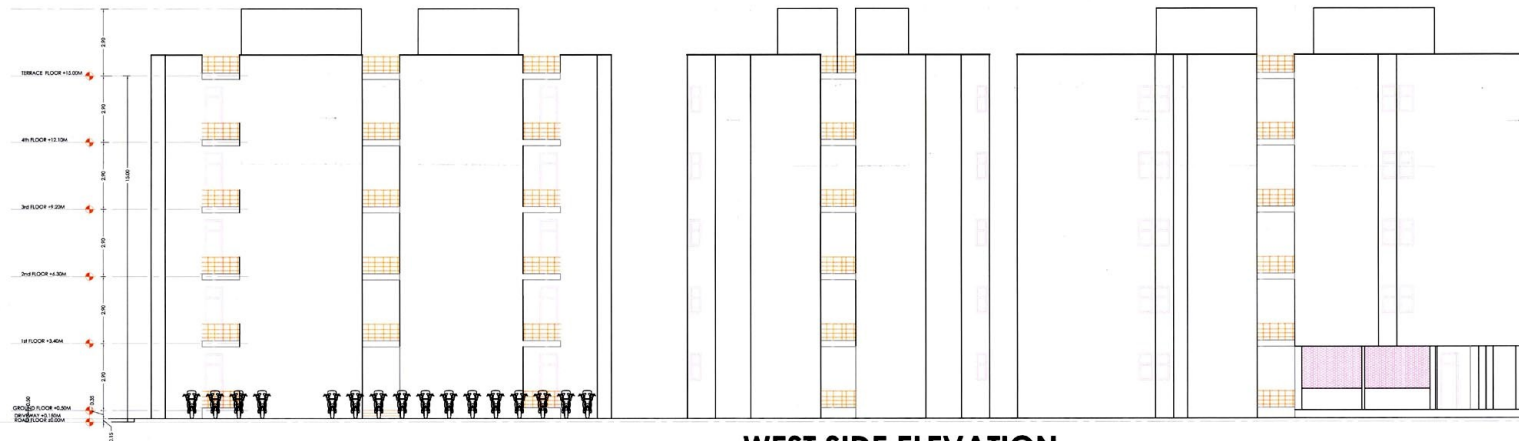
Authorized Signatory Director
Kusum Agrawal

Sheetal Kumar Agrawal
B. ARCH

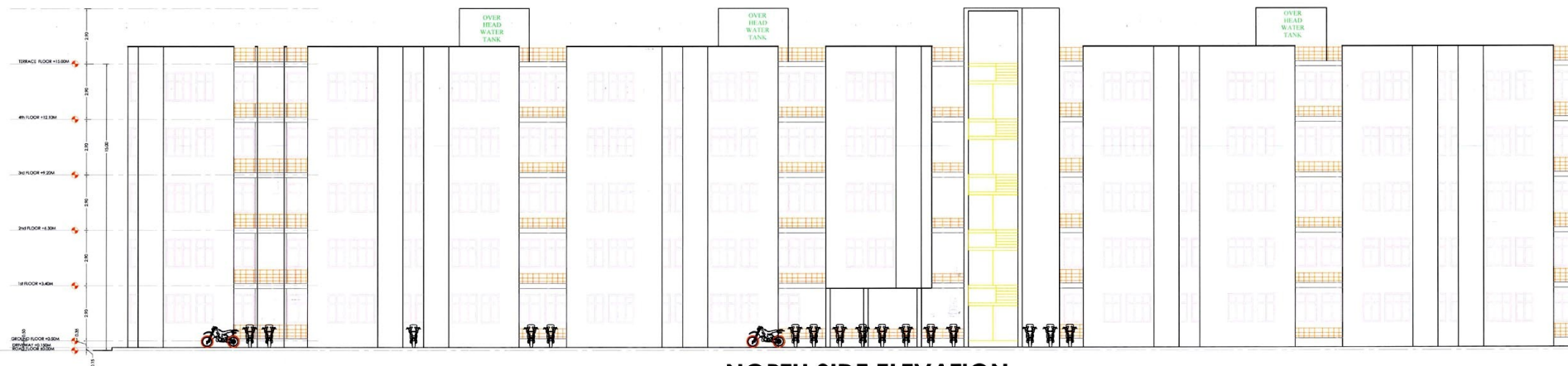
CA/09/23333



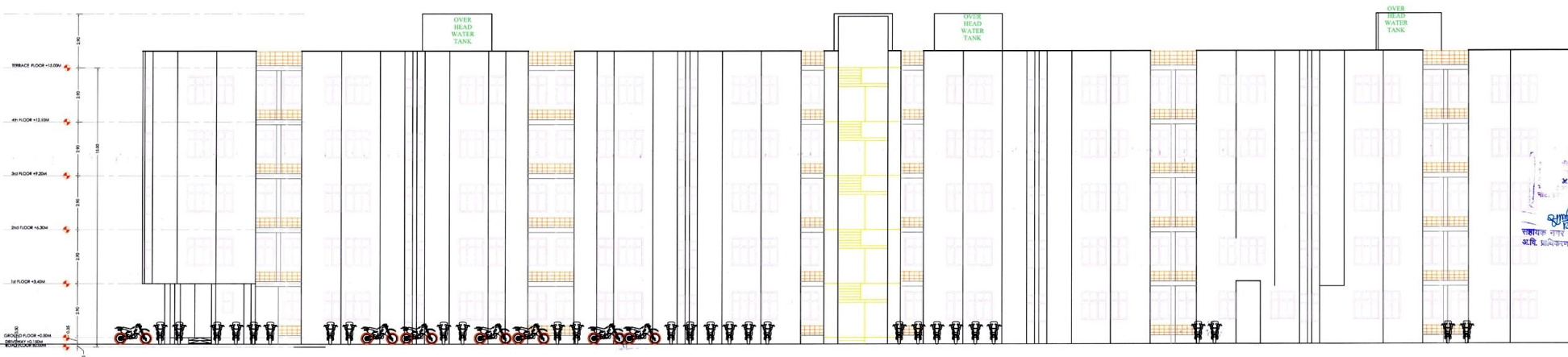
EAST SIDE ELEVATION



WEST SIDE ELEVATION



NORTH SIDE ELEVATION



SOUTH SIDE ELEVATION

TITLE:
ELEVATION

DATE: 04.11.2017

SCALE: 1:100

NORTH

PROJECT SITE:
PROPOSED PLAN IN KHASRA NO 1301
SITUATED AT MAKERWALI SIKAR ROAD AJMER

ARCHITECTS:
SHEKHAR KUMAR & ASSOCIATES
B-34 SHIVAD HOUSE,
PRITHVI RAJ ROAD,
C-SCHEME JAIPUR
TEL: 0-141-4002204

For Shaktimar Builders (P) Ltd
Authorised Signatory Director:
Kamdeep Singh

OWNER

ARCHITECTS